राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 908 / SEIAA/2022
Date: 28/6/22

प्रति,

मेसर्स शाहिद स्टान केशर,
प्रो. श्री शाहिद अली,
निवासी वार्ड न. 03 कोतमा, तहसील कोतमा,
जिला अनूपपुर (म.प्रं)

विषयः– प्रकरण क्र. 9095 / 2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शाहिद स्टान केशर, प्रो. श्री शाहिद अली, निवासी वार्ड न. 03 कोतमा, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.004 हेक्टेयर, खसरा 52 / 568, 52 / 569, ग्राम बसखला, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 733 वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

"........SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 532 दिनांक 29.03.2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान लीज क्षेत्र में नीम, सलाई, पलाश, शीशम, प्रजाति के 35 पेड है जिनमे से 07 पेड़ स्वीकृत क्षेत्र के 7.5 मीटर बेरीअर जोन क्षेत्र में है जिन्हें उखाड़ा नहीं जाएगा एवं 28 पेड खदान के खनन योग्य क्षेत्र में है, जिनमे से 07 पेड़ों को अनुमति मिलने के उपरांत उखाड़ा जावेगा एवं प्रत्येक उखाड़े गये पेड़ के एवज में 10 गुना उन्ही प्रजातियों के 70 अतिरिक्त पेड़ रोपित किये जायेंगे।

अतः प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचारविमर्श उपरांत सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में मौजूदा जीवित वृक्षों के संरक्षण एवं वृक्षारोपण योजना स्थानवार अक्षांश देशांश सहित तैयार कर सिआ कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरंन्त प्रकरण में पुनः विचार किया जाये। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को Delist किया जाता है। प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्ययोजना में चयनित स्थलवार एवं प्रजातियों की विस्तृत जानकारी का समावेश कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रकरण को Relist किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Delist किया जाता है।

28/6/22
o/c (विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 909 /SEIAA/2022 दिनांक – 28/6/22
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल– 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी